



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 149-2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 12, 2020 (ASVINA 20, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

संख्या 83/जीएसटी-2.— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 20 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 43/जीएसटी-2, दिनांक 7 मई, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 43/जीएसटी-2, दिनांक 7 मई, 2020 में, पैरा (i) में, प्रथम परंतुक में,—

(i) अन्त में, विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु और कि जहां बिक्री या वापसी के लिए अनुमोदन पर भारत से बाहर भेजे या ले जाये जा रहे माल के संबंध में, किसी व्यक्ति के लिए, किसी कार्रवाई को पूरा करने या अनुपालन करने के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 30वें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (7) के अधीन निर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जायेगी।”।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 12th October, 2020

No. 83/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 43/GST-2, dated the 7th May, 2020, namely :-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 43/GST-2, dated the 7th May, 2020, in the first paragraph (i), in the first proviso,-

- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted ;
- (ii) the following proviso shall be inserted, namely :-

“Provided further that where, any time limit for completion or compliance of any action, by any person, has been specified in, or prescribed or notified under sub-section (7) of section 31 of the said Act in respect of goods being sent or taken out of India on approval for sale or return, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 30th day of October, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall stand extended upto the 31st day of October, 2020.”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.